आर टी आई मामला/तत्काल

Sl No. 146

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 3.6.2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री मनीराम शर्मा का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री मनीराम शर्मा के दिनांक 23.05.2013 के आवेदन की प्रति (इस मंत्रालय में दिनांक 27.05.2013 को प्राप्त) को सीएस/समन्वय/एच.आर./आई.एस./न्यायिक प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है। यदि विषयवस्तु का संबंध किसी अन्य लोक प्राधिकरण से है तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उक्त प्राधिकारी को अंतरित कर दिया जाए।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 31.05.2013 को आईपीओ सं. 254787 के माध्यम से जमा कर दिया है [illegible] की प्रति संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

(3) उप सचिव (एच.आर.), गृह मंत्रालय एन.डी.सी.सी.-II नई दिल्ली

सेवा में

(1) निदेशक (सी.एस) गृह मंत्रालय एन.डी.सी.सी.-II नई दिल्ली

(2) अवर सचिव (समन्वय) गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लाक नई दिल्ली

(4) निदेशक (आई.एस.) गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक

(5) संयुक्त सचिव (न्यायिक) गृह मंत्रालय एन.डी.सी.सी.-II नई दिल्ली

(6) उप सचिव (पी.एम.), गृह मंत्रालय जैसलमेर हाउस नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री मनीराम शर्मा

रोडवेज डिपो के पीछे

नकुल निवास, सरदारशहर जिला चुरू

(राज.) - 331403

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

RTI-146/Dir(IS-I)/13
7/6/13

11093 /2013/DSE
28/05/13

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ,
गृह मंत्रालय ,
नोर्थ ब्लोक,
नई दिल्ली - 110001

महोदय ,

कृपया मुझे निम्नांकित सूचनाएं प्रदान करने का श्रम करें :-

1. निम्नांकित खण्डों/ संभागों में कार्यवाही के लिए विधि आयोग की आज तक कौन-कौन सी की रिपोर्टे प्राप्त हुई हैं , उन समस्त के विवरण प्रदान करें :

क . Centre-State Division
ख. Coordination Division
ग. Human Rights Division
घ. Internal Security Division
ङ. Judicial Division
च. Police Modernisation Division

2. विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या -29 Proposal To Include Certain Social And Economic Offences In The Indian Penal Code-32 , Section 9 Of The Code Of Criminal Procedure,--1898 Appointment Of Sessions Judges. Additional Sessions Judges And Assistant Sessions Judges -36 ,Sections 497, 498 And 499 Of The Code Of Criminal Procedure, 1898 -37 ,The Code Of Criminal Procedure. 1898 -41 , The Code of Criminal Procedure1898, -42 ,Indian Penal Code-43 , Offences Against The National Security -48 , Some Questions Under The Code Of Criminal Procedure Bill. 141 ,1970 Need for amending the law as regards power of courts -152 ,- Custodial Crimes -180 , Constitution of India and the Right to Silence -200 , Trial by Media-203 , Section 438 of the Code of Criminal -233 , Amendment of Code of Criminal Procedure Enabling Restoration of Complaints -237 ,Compounding of (IPC) Offences-239 , Expeditious Investigation and Trial of Criminal Cases Against Influential Public Personalities व -243 Section 498A IPC: Measures to check alleged misuse मंत्रालय के किस विभाग को कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई हैं

3. Prevention of Torture Bill पर राज्य सरकारों से प्राप्त अभिमत की प्रतियां

शुल्क भुगतान के लिए पोस्टल ऑर्डर संख्या 362698 भेजा जा रहा है अतः कृपया समायोजित करें और सूचना प्रदान करने में शीघ्रता कर अनुग्रहित करें .

दिनांक: 23 :05 :2013

भवनिष्ठ

मनीराम शर्मा
रोडवेज डिपो के पीछे,नकुल निवास,
सरदारशहर जिला चुरु (राज)-331 403-7
ईमेल: maniramsharma@gmail.com

Dir (CS)
US (Coord)
DS (HR)
Dir (IS-I)
JS (Jud)
DS (PM)
27/5/13
DS(E)
3529/ 29/5/13

समक्ष श्री सतपाल चौहान, अपीलीय अधिकारी, गृह मंत्रालय ,नोर्थ ब्लोक,नई दिल्ली – 110001

प्रथम अपील संख्या /

मनीराम शर्मा, नकुल निवास, रोडवेज डिपो के पीछे, सरदारशहर- जिला चुरू -- अपीलार्थी

नागौपरि

श्री जय प्रकाश अग्रवाल, जन सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय , नोर्थ ब्लोक, नई दिल्ली -- 110001 -- प्रतिपक्षी

प्रार्थी अपनी पूर्व प्रासंगिक अपील दिनांक 23 .01 .13 के क्रम में निम्नानुसार निवेदन करता है :

1. यह है कि अपीलार्थी ने दिनांक 20 .12 .12 को उक्त अधिकारी को आवेदन कर कतिपय सूचना की अपेक्षा की थी किन्तु प्रतिवादी द्वारा पर्याप्त विलम्ब से दिनांक 15.05.13 को दिया गया जवाब असंतोषजनक है|
2. यह है कि अपीलार्थी ने अपने प्रासंगिक आवेदन से विधि आयोग की रिपोर्टों पर की गयी टिप्पणियों की सत्यापित प्रति तथा उक्त रिपोर्टों पर लिए गए निर्णयों को कब तक स्वप्रकटन के अंतर्गत वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा जानने की अपेक्षा की थी किन्तु अपीलार्थी को कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी है|
3. यह है कि विधि आयोग की रिपोर्टों पर कानून बनाने से पूर्व उन पर विभाग द्वारा टिप्पणियाँ तैयार की जाती हैं और इन टिप्पणियों के पश्चात् ही कोई कानून बनाने अथवा नहीं बनाने का निर्णय लिया जाता है| विधि आयोग की समस्त अनुशंसाओं को प्रस्तुत रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है बल्कि उन पर विभाग का अपना स्वतंत्र मत होता है| विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या -41The Code of Criminal Procedure, 1898-42 ,Indian Penal Code -152 Custodial Crimes -203 Section 438of the Code of Criminal Amendment of Code of Criminal Procedure Enabling Restoration of Complaints-237 ,तथा Compounding of (IPC) Offences -Section 498A IPC: Measures to check alleged misuse पर की गयी टिप्पणियों की प्रति देने से यह कहते हुए मना कर दिया है कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो यह स्वतः उपलब्ध हो जाता है किन्तु मैंने तो कानून निर्माण से पूर्व की गयी टिप्पणियों की मांग की है न कि कानून की| विधि आयोग की अनुसंशाओं से भिन्न कानून बनाने या कानून नहीं बनाने के निर्णय का मत/विचार एवं कारण का ज्ञान तो इन टिप्पणियों से ही हो सकता है और इसे जानने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है|
4. यह है कि अन्य रिपोर्टों के विषय में प्रत्यर्थी का तर्क है कि इन पर राज्य सरकारों का मंतव्य परव्यक्ति सूचना है अतः इसे उनसे ही प्राप्त किया जा सकता है जबकि लोक प्राधिकारी के लोक कृत्य लोक दस्तावेज हैं और वे परव्यक्ति (Third party) सूचना की परिभाषा में नहीं आती हैं| फिर भी इन रिपोर्टों पर भी स्वयम विभाग की टिप्पणियाँ /मत / विचार सार्वजनिक किया जाना लोकतंत्र के हित में है|

अतः प्रार्थी द्वारा वांछित समस्त सूचनाएँ किसी भी प्रावधान में छूट प्राप्त नहीं होने से उसे स्पष्टरूप में तथा उसी प्रारूप में बिंदु/स्तम्भवार निशुल्क दिलवाई जाएँ|

अपीलार्थी

(मनीराम शर्मा)

नकुल निवास ,रोडवेज डिपो के पीछे

सरदारशहर-331403

दिनांक 23 .05 .13

RTI MATTER

Reply of Sl No. 146
12/6/2013

No.II/20034/20/2013-(IS-II)(Pt.)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(IS-I DIVISION)

New Delhi, Dated 11 June, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Information sought under the RTI Act, 2005 by Shri Mani Ram Sharma.

Please find enclosed an RTI application dated 03.6.2013 alongwith its enclosures, received by the undersigned on 06.6.2013 on transfer from RTI Division, MHA.

2. As far as IS-II Section of IS-I Division is concerned, the information sought by the applicant does not relate to this Division.

3. However, the RTI application is transferred to Director (IS-II), MHA under section 6(3) of RTI Act, 2005 with the request to furnish the information to applicant directly.

RECEIVED
12 JUN 2013

(Rakesh Mittal)
Director (IS-I) & CPIO
Tel.23092132

Shri R.K. Suman
Director (IS-II)
Ministry of Home Affairs
North Block, New Delhi

Copy to:

1. Shri Mani Ram Sharma, Behind Roadways Depot, Mukul Niwas, Sardarsahar, District – Churu, Rajasthan - 331403

2. Shri S. Samanta, Under Secretary, RTI Division, MHA, w.r.t. their Letter No.A-43020/1/2013-RTI dated 3.6.2013 for information.